नम्
अह
हुक्म
मे

राजस्व लोक अदालत मुकाम मुख्यालय बनेड़ा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

88/2016

उनवान

रमेश्वरलाल पिता कालु लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
भंवरलाल पिता कालु लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
रोडी पिता कालु लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
मुन्नी पिता कालु लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
सेजी पिता कालु लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
बापु पत्नि भंवर लाल लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
कंचन पत्नि रामेश्वर लोहार निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थीगण

बनाम

उरजन पिता बरदु जाट निवासी सरदारपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
सालु खां पिता मेहरबान खां कायमखानी निवासी स्टेशनखेडा, रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाडा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री कृष्ण कुमार जीनगर, वकील प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक 12.11.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 [राजस्]थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन [किया] कि वाके ग्राम सरदारपुरा, पटवार मण्डल **लाम्बियाखुर्द** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी** खातेदारी [भू]मि खाता संख्या 70 के आराजी संख्या **30, 32, 33, 50 कुल किता 04 कुल रकबा 05–13 बीघा** दर्ज [रिकार्ड] है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिहन नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता है। **प्रार्थी** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा [मना] कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त [आरा]जियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान [पत्रा]वली इस न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया [गया।] विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। [प्रार्थी] पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त [प्रार्थनापत्र] की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की [पत्थरग]ढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए [स्वीकार किये जा]ने योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारपुरा, पटवार मण्डल [लाम्बि]याखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 70 के आराजी संख्या [30,] **32, 33, 50 कुल किता 04 कुल रकबा 05–13 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का [आदे]श पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बैंरा को 600/– रूपये [फीस] पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक [पत्थर]गढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित [सूचना] पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। [पक्षका]रान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए [जाने] का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा [पक्षकार]ान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम मुख्यालय बनेडा 12.11.2016 को खुले